प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 942/2022

अनवान : –

1. दिनेश कुमार पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी गढ़वास 25 जेएसएन जसाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. रामदयाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी गढवास 25 जेएसएन जसाना तहसील नोहर।
2. विकास कुमार पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी गढवास 25 जेएसएन जसाना तहसील नोहर।
3. समेस्ता पुत्री रामदयाल पत्नी बंशीलाल जाति जाट निवासी मोहम्मद पुरिया तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. समेस्ता (सुनीता) पुत्री रामदयाल पत्नी पप्पुराम जाति जाट निवासी मोहम्मद पुरिया तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री चन्द्रशेखसर अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 01.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगणगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 137/118 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 ए बारानी तहसील टिब्बी के खाता स0 210/101 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रामप्रताप के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

प्रतिवादी स0 3 व 4 जो की वादी की बहि[illegible] ए[illegible]तिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना च[illegible] [illegible]सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त[illegible] रोही मौजा 19 जेए[illegible]की वाद भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 बहिब काबिज है तथा रोही मौजा टिब्बी की वाद भूमि पर प्रतिवादी स0 1 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 137/118 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2075–2078 रोही मौजा 2 ए बारानी तहसील नोहर प्रदर्श–2, रोही मौजा 19 जेएसएन प्रदर्श–3, शपथ पत्र प्रदर्श–4 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा चक 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 137/118 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी स0 1 ने अन्य कृषि भूमि होना स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी स0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाता है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है अतः वादी का वाद डिक्री फरमावें।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 137/118 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 [illegible] के खातेदार कातश्कार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन [illegible] प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 01/05/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जसाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 942 / 2022
अनवान : –

1. दिनेश कुमार पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी गढ़वास 25 जेएसएन जसाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. रामदयाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी गढवास 25 जेएसएन जसाना तहसील नोहर।
2. विकास कुमार पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी गढवास 25 जेएसएन जसाना तहसील नोहर।
3. समेस्ता पुत्री रामदयाल पत्नी बंशीलाल जाति जाट निवासी मोहम्मद पुरिया तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. समेस्ता (सुनीता) पुत्री रामदयाल पत्नी पप्पुराम जाति जाट निवासी मोहम्मद पुरिया तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 642 सन 2022 निर्णय दिनांक 01.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 137 / 118 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार कातश्कार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:14 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जसाना